जीसीएमएस नबंरः–2018/00073

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 9A/2018

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री फताराम पुत्र खेताराम जाति जाट, निवासी लालगढ़ जाटान, वर्तमान निवासी कालवासिया(बहरामपुरा बोदला), तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान।
2. बादू देवी पत्नी नेतराम पुत्र फताराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।
3. नेतराम पुत्र श्री फताराम, जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 जो कि ग्राम पंचायत द्वारा फताराम पुत्र खेताराम के पट्टा की जगह में से 42 गुणा 59 फीट का गलत तौर से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी किया बमुराद मन्सूखिया।

उपस्थित : 1. श्री कुलवंत सिंह संधू, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 व 3।

आदेश दिनांकः 25.02.2026

निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत निगरानीकृत आदेश को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता के पिता स्व. फताराम पुत्र श्री खेताराम के नाम से लालगढ़ जाटान की आबादी की जगह भूखंड संख्या 148 पैमाइश 35 गुणा 60 तथा भूखंड संख्या 149 पैमाईश 35 गुना 60 अर्थात् कुल दोनों का पैमाईश 35 गुणा 120 का पट्टा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ के द्वारा आवश्यक राशि जमा करवा कर पट्टा संख्या 289 दिनांक 26.04.1976 को जारी किया गया, जिसकी नकल शामिल है। उक्त पट्टा आज तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। फताराम के देहांत होने पर उसके वारिसान देवीलाल, पृथ्वीराम, रामप्रताप, ओमप्रकाश तथा नेतराम व दो पुत्रियां कलावती देवी तथा विद्यादेवी है व दोनों बहनों के द्वारा अपने भाइयों के हक में

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा छोड़ देने के कारण उक्त भूखंड पैमाईश 35 गुणा 120 का विभाजन भाइयों में किया जाकर प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा में उसका 24'X35' हिस्सा कब्जा में चला आया। निगरानीकर्ता लालगढ़ जाटान को छोड़कर कालिवासिया में निवास करने लग गया तथा समय–समय पर जाकर अपने हिस्से के भूखंड की देखभाल करता रहा। अब जब वह कुछ रोज पूर्व ही संभालने गया तो उसने पाया कि अप्रार्थीयान संख्या 2–3 के द्वारा तोड़–फोड़ कर रखी है। इस पर पूछा तो बताया किया उक्त प्लाट 35 गुना 120 में से 42 गुना 59 का पट्टा नया अप्रार्थीया संख्या 02 के नाम से जारी करवा लिया है। इस पर उसने सरपंच/सचिव से संपर्क करके पट्टा की नकल 27.03.2018 को हासिल कर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर पेश की है:–

1. पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है गलत खिलाफ कानून होने से हर प्रकार से ही निरस्तनीय है।
2. जिस जगह का उक्त पट्टा संख्या 44 जारी किया गया है, वह वास्तव में निगरानीकर्ता के पिता फताराम पुत्र खेताराम के नाम अहाता नंबर 148–149 पैमाईश 35 गुणा 120 की जगह में से ही कुछ जगह का जारी किया गया है, जबकि फताराम के नाम से जारी पट्टा, जिसकी नकल शामिल है, को आज तक किसी सक्षम न्यायालय में न तो चुनौती दी गई है, न ही निरस्त किया गया है। अतः बिना इसके निरस्त हुए ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि वह उक्त जगह में से 42 गुणा 59 का नया पट्टा जारी करती, क्योंकि निगरानीकर्ता के पिता फताराम ने उक्त जगह की कीमत जमा करवा कर पट्टा प्राप्त किया। अतः वह 35 गुणा 120 की जगह का मालिक काबिज व हकदार था तथा उसकी मृत्यु उपरांत विभाजन में उक्त 5 भाइयों को आया, जिसमें निगरानीकर्ता भी शामिल है। अतः निगरानीकर्ता की मलकीयत जगह का पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से गलत जारी किया गया है।
3. इस प्रकार से फताराम के मलकीयती प्लाट संख्या 148–149 की जगह पर ना तो ग्राम पंचायत को कभी कोई हक व अधिकार हासिल हुए तथा ना ही वह इसमें से 42 गुणा 59 का नया पटटा जारी करने की कभी अधिकारी रही, ना ही जारी किया जा सकता था। अतः मिलीभगत करके गलत पटटा वास्तव में अप्रार्थी संख्या 03 ने अपनी पत्नी अप्रार्थी संख्या 02 के नाम से जारी करवाया जो कि हर प्रकार से निरस्तनीय है।
4. ग्राम पंचायत की ना तो कोई मीटिंग हुई ना ही कोई प्रस्ताव ही 42 गुना 59 की जगह का पट्टा जारी करने का पास किया गया तथा ना ही कोई कमेटी गठित कर जांच करवाई गई ना ही मौका देखा गया तथा ना ही किसी प्रकार से कोई आपत्ति सूचना ही जारी की गई, ना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित की गई, ना ही प्रभावितों यानि निगरानीकर्ता आदि को बुलाकर सुना गया। इस प्रकार से समस्त कार्यवाही यकतरफा तथा मिलीभगत करके की गई तथा पटटा हर प्रकार से निरस्तनीय है।
5. उक्त भूखंड जिसका नया पटटा यानि फताराम का पटटा आज तक प्रभावशील होते हुए उसकी जगह में से यानि 42 गुना 59 का जारी किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गया है, की कीमत कम से कम 10 लाख रुपया है। इस प्रकार पट्टा केवल 200 रुपए जमा करवाने का दर्ज करके जारी किया गया है जो कि स्पष्ट तौर से ही गलत होने से निरस्तनीय है।

6. 200 रुपए में पटटा केवल पुराने कब्जा की जगह का नियमन करके जारी किया जा सकता है जबकि बादू देवी का कब्जा किसी प्रकार से 42 गुणा 59 पर पुराना नहीं रहा है, बल्कि इस जगह का पटटा फताराम के नाम से जारी था तथा प्रभावशील है तथा फताराम के देहांत के बाद उसकी पत्नी भी रहती रही तथा उसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, नकल पेश है तथा निगरानीकर्ता के हिस्सा की जगह पर उसने विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है, बिल की नकल शामिल है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि 42 गुना 59 पर कभी बादू देवी का पुराना कब्जा ना तो रहा है ना ही हो सकता है। अतः गलत तौर से नियमन करके 200 रुपए में पटटा जारी किया है, जो कि निरस्तनीय है।

7. ग्राम पंचायत द्वारा नियमन करके पटटा जारी करने के संबंध में कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया नहीं अपनाई, ना ही आवश्यक जांच की, ना ही कानूनन वह पटटा जारी कर सकती थी। ग्राम पंचायत केवल पंचायत की मलकीयत जगह का ही पटटा जारी कर सकती है तथा उसके लिए भी निलामी आदि की कानूनी प्रकिया अपना कर ही जारी किया जा सकता है। अतः पटटा दिनांक 25.09.2017 बिना अधिकार खिलाफ कानून होने से भी निरस्तनीय है।

8. निगरानीकर्ता प्रभावित व्यक्ति है जबकि पटटा जारी करने से पूर्व उसको पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया अतः धारा 96सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ निगरानी पेश की जा रही है। निगरानी कर्ता को गत सप्ताह अपना हिस्सा भूखंड संभालने जाने पर सर्वप्रथम यह पता चला कि गलत पटटा जारी करवा लिया है। अतः नकल हासिल कर निगरानी पेश की जा रही है, जो कि इल्म से बिना किसी देरी के पेश है। श्रीमान न्यायालय को सुओ मोटिव अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर भी पंचायत रिकॉर्ड मंगवा कर पटटा की वैद्यता की जांच कर निरस्त करने का अधिकार है।

लिहाजा निगरानी पेश करके अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किया गया।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में निगरानी के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि निगरानीकर्ता के पिता स्व. फताराम पुत्र श्री खेताराम के नाम से लालगढ़ जाटान की आबादी की जगह भूखंड संख्या 148 पैमाइश 35 गुणा 60 तथा भूखंड संख्या 149 पैमाईश 35 गुना 60 अर्थात् कुल दोनों का पैमाईश 35 गुणा 120 का पट्टा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ़ के द्वारा आवश्यक राशि जमा करवा कर पट्टा संख्या 289 दिनांक 26.04.1976 को

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जारी किया गया, जिसकी नकल शामिल है। उक्त पट्टा आज तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। फताराम के देहांत होने पर उसके वारिसान देवीलाल, पृथ्वीराम, रामप्रताप, ओमप्रकाश तथा नेतराम व दो पुत्रियां कलावती देवी तथा विद्यादेवी है व दोनों बहनों के द्वारा अपने भाइयों के हक में हिस्सा छोड़ देने के कारण उक्त भूखंड पैमाईश 35 गुणा 120 का विभाजन भाइयों में किया जाकर प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा में उसका 24'X35' हिस्सा कब्जा में चला आया। ग्राम पंचायत की ना तो कोई मीटिंग हुई ना ही कोई प्रस्ताव ही 42 गुना 59 की जगह का पट्टा जारी करने का पास किया गया तथा ना ही कोई कमेटी गठित कर जांच करवाई गई ना ही मौका देखा गया तथा ना ही किसी प्रकार से कोई आपत्ति सूचना ही जारी की गई, ना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित की गई, ना ही प्रभावितों यानि निगरानीकर्ता आदि को बुलाकर सुना गया। इस प्रकार से समस्त कार्यवाही यकतरफा तथा मिलीभगत करके की गई तथा पटटा हर प्रकार से निरस्तनीय है। 200 रुपए में पटटा केवल पुराने कब्जाा की जगह का नियमन करके जारी किया जा सकता है जबकि बादू देवी का कब्जा किसी प्रकार से 42 गुणा 59 पर पुराना नहीं रहा है, बल्कि इस जगह का पटटा फताराम के नाम से जारी था तथा प्रभावशील है तथा फताराम के देहांत के बाद उसकी पत्नी भी रहती रही तथा उसके नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, नकल पेश है तथा निगरानीकर्ता के हिस्सा की जगह पर उसने विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया हुआ है, बिल की नकल शामिल है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि 42 गुना 59 पर कभी बादू देवी का पुराना कब्जा ना तो रहा है ना ही हो सकता है। अतः गलत तौर से नियमन करके 200 रुपए में पटटा जारी किया है, जो कि निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत केवल पंचायत की मलकीयत जगह का ही पटटा जारी कर सकती है तथा उसके लिए भी निलामी आदि की कानूनी प्रकिया अपना कर ही जारी किया जा सकता है। पटटा दिनांक 25.09.2017 बिना अधिकार खिलाफ कानून होने से भी निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 व 03 ने जरिए अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान द्वारा पटटा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अधीन विधिवत रूप से जारी किया गया है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 व 03 का कई वर्षों से पुराना कब्जा है। निगरानीकर्ता द्वारा जिस पटटे के खिलाफ निगरानी प्रस्तुत की गई है उसकी पैमाईश **42X59** फिट है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में अपने पिता के जिस पटटे का वर्णन किया गया है उसकी पैमाईश **35X120** फिट है। ग्राम पंचायत लालगढ़ द्वारा जो पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 जारी किया गया है, उसकी पैमाईश **42X59** है, जो कि किसी भी प्रकार से निगरानीकर्ता के द्वारा बताए गए पटटे से मेल नहीं खाती है। निगरानीकर्ता ने निगरानी बिना किसी आधार एवं माननीय न्यायालय का समय खराब करने हेतु प्रस्तुत की है, जो कि काबिले खारिज है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी सारहीन व बिना किसी आधार के होने के कारण सव्यय खारिज फरमायी जावे।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता ने निगरानी ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पटटा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 जारी किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। निगरानीकर्ता ने निगरानी का मूल आधार निगरानीकर्ता के पिता फताराम पुत्र श्री खेताराम के नाम से ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान द्वारा जारी पट्टा पैमाईश 35 गुना 120 फुट में से गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 बादू देवी पत्नी नेतराम के नाम से पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 जारी किया जाना बताया है, जबकि ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 बादू देवी पत्नी नेतराम के नाम पटटा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 पैमाईशी 42X59 फुट राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अतंर्गत जारी किया गया है क्योंकि निगरानीकर्ता के पिता फताराम पुत्र श्री खेताराम के पटटे का माप 35X120 फुट है जो गैरनिगरानीकर्ता के नाम जारी पट्टा के माप/क्षेत्रफल पूर्णरूप से भिन्न है। निगरानीकर्ता द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया कि जो पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 बादूदेवी पत्नी श्री नेतराम के नाम जारी किया गया है, वह पटटा फताराम पुत्र श्री खेताराम की जगह में से जारी किया गया है। निगरानीधीन पट्टे का क्षेत्रफल माप निगरानीकर्ता के पिता के नाम जारी पटटे के क्षेत्रफल माप से पूर्णरूप से भिन्न है। निगरानीकर्ता के पिता फताराम पुत्र श्री खेताराम के नाम पटटा दिनांक 26.04.1976 साईज 35X120 फुट में से निगरानीधीन पट्टा संख्या 44 दिनांक 25.09.2017 साईज 42X59 फुट का जारी नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप निगरानकर्ता की निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भिजवाया जावें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर